प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

सन्निर्माण कर्मकार असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं। उपकर के उद्ग्रहण/संग्रहण के माध्यम से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (बीओसीडब्ल्यू) को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 अधिनियमित किए तथा वर्ष 1998 में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली (उपकर नियमावली) भी बनाई। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2002 (डीबीओसीडब्ल्यू नियमावली) को अधिसूचित किया (जनवरी 2002) और बीओसी कर्मकारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए सितंबर 2002 में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया।

इस प्रतिवेदन में सन्निर्माण कर्मकारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विभिन्न कमियों का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कर्मकारों की संख्या संबंधी आंकड़ों का अभाव, सन्निर्माण कार्य में लगे प्रतिष्ठानों और उनके द्वारा नियोजित कर्मकारों की पहचान में कमियां, पंजीकृत कर्मकारों के आंकड़ों में विसंगतियां, उपकर के निर्धारण और संग्रहण में कमियां, सन्निर्माण कर्मकारों को प्रदान किए गए अपर्याप्त कल्याणकारी उपाय आदि शामिल हैं।